आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 625/2022 (प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

बैंक ऑफ बड़ौदा, सेक्टर 6, मानसरोवर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. मैसर्स नाहटा पेट्रोलियम सप्लाई कम्पनी(पार्टनरशिप फर्म),

पता :– वीर तेजाजी रोड, मानसरोवर कॉमर्शियल स्ट्रीप "बी", जयपुर।

2. स्व. श्रीमती धेवरी देवी जरिये विधिक वारिसान :–

A. श्रीमती सरोज देवी बोथरा पत्नी श्री अशोक कुमार बोथरा,

पता:– 802, नॉर्थर्न स्टार, जैन गार्डन के सामने, डी मार्ट के पास, न्यू लिंक रोड, कंदनपाड़ा पश्चिम, मुम्बई।

B. श्रीमती सुशीला देवी मानोत पत्नी श्री मांगीलाल मानोत,

पता :– एक्टिव एकर्स, टॉवर 4, फ्लेट नं. 19ए, 54/10, डीपी डे रोड, तागरा धापा, कोलकाता।

C. श्रीमती समता बंथिया पत्नी श्री अशोक कुमार बंथिया,

पता :– ए–405, साउथ एंड होम्स, ज्ञान विहार युनिवर्सिटी के पास, जगतपुरा, जयपुर।

D. श्रीमती संतोष बोकाडिया पत्नी श्री ललित बोकाडिया,

पता :– ब्रिगेड गार्डिनिया, सी–913, 9वां क्रॉस, फेज–7, जेपी नगर, बंगलोर।

E. श्रीमती कमला देवी बर्डिया पत्नी श्री आलोक बर्डिया,

पता:– अपार्टमेन्ट नं. 2046, शोभा जास्मिन, सारजापुर, आउटर रिंग रोड, बेलान्दूर, बंगलोर।

F. श्रीमती स्नेहलता बर्डिया पत्नी श्री विमल बर्डिया,

पता :– 3, जालाराम पार्क, भैरवनाथ रोड, पुष्पाकुंज के पास, कांकरिया, गुजरात।

G. श्रीमती ऊषा देवी गुलगुलिया पत्नी श्री राजकुमार गुलगुलिया,

पता :– मार्फत परिधान मोतीलाल एण्ड कम्पनी मेहरपुर, सिलचार, कचार, आसाम।

H. श्रीमती मोनिका लूनिया पुत्री स्व. श्री अमर चंद संचेती,

पता :– 201, अनुकम्पा अपार्टमेन्ट, मॉडल टाऊन, मालवीय नगर, जयपुर।

I. श्रीमती शोभा देवी पारख पत्नी श्री सुरेन्द्र कुमार पारख,

पता :– मार्फत पारख एजेन्सी, मनी रोड, कलिम्पोग, वेस्ट बंगाल,

3. श्री शुभकरण नाहटा पुत्र श्री रूपचंद नाहटा (पार्टनर)

पता:– 34, कृष्णा विहार, गोपालपुरा रोड, जयपुर।

4. श्री कमल सिंह नाहटा पुत्र श्री रूपचंद नाहटा (पार्टनर)

पता:– 39, शांति नगर, जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

The application under section 14 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :—श्री मनोज कुमार शर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक 19.09.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स नाहटा पेट्रोल फ्यूल सप्लाई कम्पनी के स्वामित्व की सम्पति नाहटा पेट्रो फ्यूल सप्लाई कम्पनी, वीर तेजाजी रोड़, मानसरोवर, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर और निर्मित क्षेत्र(बिल्टअप एरिया) 67.84 वर्गमीटर को बन्धक रख कर दिनांक 25.07.2012 को राशि 01,00,00,000/— रूपये, दिनांक 06.05.2020 को राशि 10,00,000/— रूपये एवं दिनांक 08.06.2020 को राशि 19,91,000/— रूपये, कुल राशि 01,29,91,000/— रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.02.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थीगणों को 01,29,91,000/— रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 01,28,46,781.64/— रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.02.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है इसके अतिरिक्त दो दैनिक समाचार पत्रों में 13(2) के नोटिस को प्रकाशित कराया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स नाहटा पेट्रोल फ्यूल सप्लाई कम्पनी के स्वामित्व की सम्पति नाहटा पेट्रो फ्यूल सप्लाई कम्पनी, वीर तेजाजी रोड़, मानसरोवर, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर और निर्मित क्षेत्र(बिल्टअप एरिया) 67.84 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक **19.09.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर